GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

NO. .... /Patna, DATE.

....

In exercise of powers conferred by Section- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to related the recruitment, promotion and other service conditions of the Clerical Cadre in Government Engineering Colleges/Government Polytechnics /Government Women Polytechnics and State Board of Technical Education under the Department of Science and Technology: -

1. Short title, extent and commencement:

(1) These rules may be called the Department of Science and Technology field **Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2015** (Department of Science and Technology)**;**

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar which shall be effective for all field institutions such as Government Engineering Colleges/Government Polytechnics /Government Women's Polytechnics/State Board of Technical Education and other field offices under the Department of Science and Technology;

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions: In these Rules, unless otherwise requires in the context:

(a) 'State Government' means the 'State Government of Bihar'.

(b) 'Appointing Authority' means 'Director, Department of Science and Technology, Bihar, Patna'.

(c) 'Cadre Controling Authority' means 'Director, Department of Science and Technology, Bihar, Patna';

(d) 'Department' means the 'Department of Science and Technology, Bihar, Patna';

(e) 'Directorate' means the Directorate under administrative control of the Department of Science and Technology.

(f) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission/Bihar State Technical Staff Selection Commission or other organization/Agency authorized by the State Government;

(g) 'Cadre' means the Clerical Cadre of the Sub-ordinate Institutions under the Directorate;

(h) 'Member' means the person appointed as per these Rules and it includes all persons appointed or adjusted prior to commencement of these Rules;

(i) 'Appointment on the basis of compassionate means the appointment of one of the dependents of an employee died during service period on compassionate ground according to the Circulars/ Instructions issued by the State Government.

3. **Cadre Structure :- The chain of posts/Classification-Table of the Clerical Cadre Structure shall be as follows :-**

Sl. No.	Designation	Level
(i)	Lower Division Clerk	Basic category
(ii)	Upper Division Clerk	First Promotion
(iii)	Head Clerk	Second Promotion
(iv)	Office Superintendent	Third Promotion

4. **Cadre Strength:** -The Cadre Strength shall be determined by Directorate from time to time as per need.

5. **Recruitment:**

(1) The recruitment to this Cadre shall normally be made to the posts of Lower Division Clerk of which 85% shall be filled by direct recruitment and 15% by such employees of Group – D working in field offices under the control of the Directorate on seniority basis who have qualifications for the appointment to the post of Lower Division Clerk.

(2) The Appointing Authority shall calculate the vacancies as on April 1 every year and send the requisition to the Commission by April 30.

(3) The Commission shall advertise the vacancies and, after selecting the successful candidates on the basis of the Competitive

Examination, shall recommend the names of the candidates in order of merit to the Appointing Authority. The merit list shall remain valid up to one year from the date of receipt of the recommendation in the Department.

(4) The Appointing Authority shall, after proper verification, appoint the candidate on probation for two years.

6. **Qualifications:**-The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) Pass or Equivalent along with knowledge of computer-operation and typing.

7. **Recruitment by Promotion:-**

(1) The Appointing Authority shall prepare a seniority list of Group – D employees in accordance with Rule – 5 of these Rules.

(2) The promotion shall be given according to the seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

8. Age limit-Minimum age limit for new appointment in proposed cadre will be 18 years and maximum age limit will be as follows :-

(a)	Unreserved (Male)	-	37 years
(b)	BC/MBC (Male & Female)	-	40 years
(c)	Unreserved (Female)	-	40 years
(a)	SC/ST (Male & Female)	-	42 years

9. Reservation:-In cases of appointment and promotion, compliance of the provisions of Reservation/Roster as notified by the State Government, from time to time, will be compulsory.

10. Probation:-Every recruitment shall be on probation for two years which may be extended further by the Appointing Authority for one year if the probation period is not satisfactory. Such extension of period shall take place only when Appointing Authority is of opinion that there is chance of improvement in the probationer. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the person concerned shall be terminated from the service without any notice.

11. Within one year after appointment the members of the cadre shall have to pass the Hindi Noting/Drafting Examination conducted by 'Rajbhasha Vibhag', otherwise second annual increment will not be admissible to them.

12. Departmental Examination:-

(1) The Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the Departmental Examination, and passing each paper from last stage shall be compulsory.

Paper – 1

Service Rules: Bihar Service Code, Pension Rules, Procedures concerning seniority and promotion, Noting and Drafting.

Paper – 2

Financial Rules – Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, G.P.F. Rules, T.A. Rules, Insurance Rules.

Note:- Passing in Paper –1 shall be compulsory for the first promotion.

Passing in Paper–2 shall be compulsory for the second promotion.

13. Confirmation:- A probationer shall be confirmed after satisfactory completion of probation-period and passing the examinations mentioned in Rules 10 to 11 and Computer Competency Test.

14. Seniority:- Inter-se- seniority of the members of the cadre appointed by direct requirement shall be in conformity with the merit list determined by of the Commission:-

Provided that Inter-se-seniority determined before the commencement of these rules shall remain unchangeable. A person appointed by promotion shall be senior to the persons appointed by direct recruitment in the same recruitment year.

15. Promotion:-

(1) Appointment shall be made only to the post of basic category and remaining posts of the chain of posts shall be filled by promotion for which it will be compulsory to complete the Kalawadhi determined by the General Administration Department.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department for consideration of promotion.

16. Administrative Authority:- The provisions of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable for the purpose disciplinary action against the Cadre Members in the matters of direct or indirect irregularity, unruliness, indiscipline or anything otherwise or Vigilance cases.

17. Level of Cadre/Establishment/Transfer/Deputation:- This cadre shall be state level. Transfer/Posting of the employees of this cadre shall be controlled by the Cadre Controlling Authority.

18. Residue matters:- Such matters which are not covered particularly by these rules shall be governed by the rules, instructions or orders applicable to the officers/ employees of appropriate level of State Government.

19. Removal of Difficulties:- Any difficulty related to these Rules shall be finally removed by the order of the State Government order after consultation with the Law Department.

20. Interpretation:- Wherever any doubt arises relating to interpretation any provision of these Rules, the instruction/advice of the Department after consultation with the Law Department may be issued in respect such subject.

21. Repeal:-

(1) All resolutions/circulars issued prior to commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said resolution or circulars shall be deemed to be done or taken under these rules as if these Rules were come in to force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the Order of the Governor of Bihar
S/D
(Om Prakash Rai)
Addl. Secretary of Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–25/2014/ /Patna, dated-

Copy forwarded to the superintendent, Govt. Press Gulzarbagh, Patna /Officer in charge, e-gazette, Finance Deptt., Bihar, Patna (with C D) for information and for Publication in Next Bihar Gazette. He is also requested to send 700 (Seven hundred) Copies of the printed notification to this Department immediately.

S/D
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–25/2014/ /Patna, dated-

Copy forwarded to Secretary to H.E. Governor/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/P.S. to Minister, Sc.& T for kind information.

S/D
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–25/2014/ /Patna, dated-

Copy forwarded to A.G., Bihar, Patna/Chief Secretary to Govt., Bihar/All Department/All Head of Department/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information.

S/D
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (।)स्था०–25/2014/ /Patna, dated-

Copy forwarded to Director, Sc&T./Principal, All Engg. Colleges/ Polytenice/ Secretary, SBTE, Bihar, Patna for information and necessary action.

S/D
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (।)स्था०–25/2014/ 1190 /Patna, dated- 26.5.2015

Copy forwarded to I.T. Manager for E-Mail

Addl. Secretary to Government

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या ..../पटना, दिनांक ....

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र के अभियंत्रण महाविद्यालयों, पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में लिपिकीय संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।** यह नियमावली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय **लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा जो विभागान्तर्गत यथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रभावी होगी।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाऐं ।-** इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-

   (क) " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

   (ख) "<u>नियुक्ति प्राधिकार</u>" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना;

   (ग) " संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना;

   (घ) " विभाग " से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना;

   (ङ) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन निदेशालय;

(च) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग / बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन, आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन/अभिकरण;

(छ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है निदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों में लिपिकों का संवर्ग।

(ज) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन लिपिकीय पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त अथवा समायोजित सभी व्यक्ति शामिल है;

(ज) ''अनुकम्पा'' के आधार पर नियुक्ति से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों / अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना।-**

1. लिपिकीय संवर्ग की पदसोपान/वर्गीकरण तालिका निम्नवत् होगी :-

क्र0सं0	पदनाम	स्तर
(i)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ii)	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(iii)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(iv)	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर

4. **संवर्ग बल।-** संवर्ग बल निदेशालय द्वारा, समय समय पर, आवश्यकतानुसार विनिश्चित किया जायेगा।

5. **भर्ती ।-**

(1) इस संवर्ग में सामान्यता नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जायेगी, जिसका 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद निदेशालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत समूह ''घ'' के वैसे कर्मचारियों से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगें और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगें।

(3) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभयार्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(4) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेंगे।

6. **अर्हता**।- सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उर्तीण अथवा समकक्ष होगी।

7. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती** ।- (1) नियुक्ति प्राधिकार इस नियमावली के नियम-5 के अनुसार समुह –घ कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगें।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी।

8. **उम्र सीमा** ।– प्रस्तावित संवर्ग में नयी नियुक्ति हेतु न्युनतम् उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगा:-

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष

(ख) पिछड़ावर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

9. **आरक्षण** ।- भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण /रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

10. **परिवीक्षा** ।- प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाईश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को बिना किसी सूचना के सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

11. संवर्ग के सदस्यों को नियुक्ति के उपरांत एक वर्ष के अन्तर्गत राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पणी /प्रारूपण परीक्षा उर्त्तीण करना होगा, अन्यथा उन्हें दूसरी वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

12. **विभागीय परीक्षा** ।- (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी। (2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में अंतिम स्तर से उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा।

<u>पत्र -1</u>

सेवा नियमावली – बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति की विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

<u>पत्र-2</u>

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

नोट :- पत्र-1 में उर्त्तीणता प्रथम प्रोन्नति के लिए आवश्यक होगी।
पत्र-2 में उर्त्तीणता द्वितीय प्रोन्नति के लिए आवश्यक होगी।

13. **संपुष्टि** ।- कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा नियम-10 से 11 में उल्लिखित परीक्षा की उत्तीर्णता एवं कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

14. **वरीयता** ।-सीधी भर्ती से नियुक्त संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता का आधार आयोग द्वारा विनिश्चित मेधा सूची के अनुरूप होगी।

परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी। प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसी नियुक्ति वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

15. **प्रोन्नति** ।- (1) नियुक्ति मात्र मूल कोटि के पद पर की जायेगी तथा सोपान के शेष पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित कालाबधि पूरा करना अनिवार्य होगी।
(2) प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

16 **अनुशासनिक प्राधिकार:-** संवर्ग के सदस्य /सदस्यों के विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर अनियमितता, उदंडता, अनुशासनहीनता अथवा अन्य अन्यथा किसी बात या निगरानी मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

17. **संवर्ग का स्तर/स्थापना/ स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति** ।- यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किए जायेगा।

18. **अवशिष्ठ मामले** ।- वैसे मामले, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ठ रूप से आच्छादित नहीं है, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

19. **कठिनाईयों का निराकरण** ।- नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश से किया जायेगा।

20. **निर्वचन** ।- जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ ऐसे विषय के संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विभाग का अनुदेश/परामर्श निर्गत किया जा सकेगा।

21. **निरसन** ।- (1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्पों/परिपत्रों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पाँच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)स्था0-25/2014 1190 /पटना, दिनांक- 26-5-015

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव